केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

सं.सीबीएसई/प्रशा.II/सीईए/2018 **दिनांक : 08.02.2019**

कार्यालय आदेश

विषय : बाल शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास सहायिकी प्रतिपूर्ति के लिए परिशोधित वार्षिक अधिकतम सीमा

बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए वार्षिक अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी हेतु इस कार्यालय के दिनांक 27.09.2017 के आदेश सं. सीबीएसई/प्रशा.II/सीईए/2017 के क्रम में, बाल शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास सहायिकी की प्रतिपूर्ति के लिए दरें दिनांक 01.07.2017 से परिशोधित की गई हैं। परिशोधित दरें निम्नानुसार हैं :-

भत्ता का नाम	वार्षिक सीमा (रु.)	01.07.2017 से परिशोधित वार्षिक सीमा
बाल शिक्षा भत्ता	रु. 18,000/- (रु. 1500/- प्रतिमाह प्रति बच्चा)	रु. 27,000/- (रु. 2250/- प्रतिमाह की दर से निश्चित)
बाल शिक्षा भत्ता (दिव्यांग बच्चों के लिए)	....	रु. 54,000/- (रु. 4500/- प्रतिमाह)
छात्रावास सहायिकी (केवल तभी पात्र है जब आवासीय परिसर/छात्रावास आवास से 50 कि.मी.)	....	रु. 81,000/- (रु. 6750/- प्रतिमाह निश्चित)

बाल शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास सहायिकी दोनों की प्रतिपूर्ति वर्ष में एक बार अर्थात वित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद (डीओपीटी आदेश सं. ए-27012/02/2017-स्था.(एएल) दिनांक 16.08.2017) संस्थान के प्रमुख से पुष्टि का **वास्तविक प्रमाण पत्र (प्रपत्र संलग्न)** प्रस्तुत करने पर कि बच्चों ने शैक्षणिक वर्ष के दौरान अध्ययन किया है। छात्रावास सहायिकी के लिए, प्रमाण पत्र में आवासीय परिसर में आवास/भोजन पर किए गए खर्च राशि का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मूल रसीद/ई-रसीद और रिपोर्ट कार्ड की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँ।

अन्य निबंधन एवं शर्तों के लिए डीओपीटी आदेश सं. ए-27012/02/2017-स्था.(एएल) दिनांक 16.07.2016 और मामले पर भारत सरकार के पिछले परिपत्र प्रचालित रहेंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण :

1. माननीय अध्यक्ष के व्यैक्तिक सहायक - सूचनार्थ
2. सभी विभागाध्यक्षों के वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, केमाशिबो - सूचनार्थ
3. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उत्कृष्टता केंद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
4. शाखा अधिकारी के समकक्ष सभी अधिकारी, केमाशिबो
5. नोटिस बोर्ड